

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जनवरी 2021—माघ 2, शक 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अंगाडि कैलाश राव आत्मज स्व. अंगाडि आदिनारायण, उम्र 58 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 11/एफ, स्ट्रीट-10, सेक्टर-4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम कैलाश राव दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अंगाडि कैलाश राव रख लिया हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ.

अतः अब से मुझे अंगाडि कैलाश राव आत्मज स्व. अंगाडि आदिनारायण के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कैलाश राव
पिता-स्व. अंगाडि आदिनारायण
निवासी-क्वा. नं. 11/एफ,
स्ट्रीट-10, सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

अंगाडि कैलाश राव
पिता-स्व. अंगाडि आदिनारायण
निवासी-क्वा. नं. 11/एफ,
स्ट्रीट-10, सेक्टर-4, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संगीता देशमुख ध. प. श्री संजय देशमुख, उम्र 45 वर्ष, निवासी-मकान नं.-267, सेक्टर-01, गीतांजली नगर, रायपुर तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) की हूँ। यह कि पूर्व में मेरा नाम कु. उज्ज्वला देशपांडे (Ku. Ujjwala Deshpande) आत्मजा श्री भास्कर व्यंकटेश देशपांडे (Shri Bhaskar Vyankatesh Deshpande) था, जो कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र में दर्ज है, किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में उजाला देशपांडे (Ku. Ujjala Deshpande), उज्ज्वला देशपांडे आत्मजा भास्कर राव (Bhashkar Rao), भास्कर राव व्यंकटेश, भास्कर राव व्यंकटेश देशपांडे दर्ज है जिसकी वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। मेरा विवाह दिनांक 26-06-1999 को श्री संजय देशमुख के साथ संपन्न हुआ, पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती संगीता देशमुख रख ली हूँ तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे श्रीमती संगीता देशमुख ध. प. श्री संजय देशमुख के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
उजाला देशपांडे (Ku. Ujjala Deshpande) कु. उज्ज्वला देशपांडे, कु. उज्ज्वला देशपांडे (Ku. Ujjwala Deshpande) पिता-श्री भास्कर राव व्यंकटेश देशपांडे, भास्कर राव व्यंकटेश, भास्कर राव (Bhashkar Rao) भास्कर व्यंकटेश देशपांडे, (Bhaskar Vyankatesh Deshpande) (बी. व्ही. देशपांडे) (B. V. Deshpande) निवासी-तात्यापारा, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	श्रीमती संगीता देशमुख पति-श्री संजय देशमुख पिता-श्री भास्कर व्यंकटेश देशपांडे निवासी-मकान नं.-267, सेक्टर-01, गीतांजली नगर, रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, तरिणी दिनेश शिव कुमार आत्मज श्री तारिणी नेतैय्या, उम्र 39 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-बी, 11/2, एन. एस. पी. सी. एल. कॉलोनी, रूआबांधा भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं एन. एस. पी. सी. एल. में ऑपरेशन विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा लघु नाम टी. दिनेश शिव कुमार (T. Dinesh Shiv Kumar) दर्ज है, जबकि मेरा पूर्ण वास्तविक नाम तरिणी दिनेश शिव कुमार (Tarini Dinesh Shiv Kumar) है, जो कि मेरे अन्य दस्तावेजों में दर्ज है। मैं मेरे सर्विस रिकार्ड में, मेरे नाम को परिवर्तित कर पूर्ण वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे तरिणी दिनेश शिव कुमार (Tarini Dinesh Shiv Kumar) आत्मज श्री तारिणी नेतैय्या (Shri Tarini Natayya) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
टी. दिनेश शिव कुमार (T. Dinesh Shiv Kumar) पिता-श्री तारिणी नेतैय्या (S/o-Shri Tarini Natayya) निवासी-क्वा. नं.-बी, 11/2, एन. एस. पी. सी. एल. कॉलोनी, रूआबांधा, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तरिणी दिनेश शिव कुमार (Tarini Dinesh Shiv Kumar) पिता-श्री तारिणी नेतैय्या (S/o-Shri Tarini Natayya) निवासी-क्वा. नं.-बी, 11/2, एन. एस. पी. सी. एल. कॉलोनी, रूआबांधा, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, कृपाराम ध्रुव आत्मज श्री रमेश कुमार ध्रुव, उम्र 43 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-16, शांति नगर, भिलाई-3, चरोदा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरी पुत्री कु. गुंजन ध्रुव ज्ञान पब्लिक स्कूल भिलाई-3 में कक्षा चौथी में अध्ययनरत है, उसके स्कूल रिकार्ड में मेरा नाम रामकृपाल ध्रुव (Ramkripal Dhruw) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा वास्तविक नाम कृपाराम ध्रुव (Kripa Ram Dhruw) है जो कि मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज है। मैं अपनी पुत्री के स्कूल रिकार्ड में, मेरे नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को, दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मेरी पुत्री को कु. गुंजन ध्रुव (Ku. Gunjan Dhruw) आत्मज कृपाराम ध्रुव (Kripa Ram Dhruw) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

कु. गुंजन ध्रुव
(Ku. Gunjan Dhruw)
पिता-श्री रामकृपाल ध्रुव
(D/o-Shri Ramkripal Dhruw)
निवासी-वार्ड नं.-16, शांति नगर,
भिलाई-3, चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

कु. गुंजन ध्रुव
(Ku. Gunjan Dhruw)
पिता-श्री कृपाराम ध्रुव
(D/o-Shri Kripa Ram Dhruw)
निवासी-वार्ड नं.-16, शांति नगर,
भिलाई-3, चरोदा,
तहसील-पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भुवनेश्वर प्रसाद पटेल आत्मज स्व. चैन कुमार पटेल, उम्र 39 वर्ष, निवासी-म. नं.-241 ख, साईं मंदिर गली, रेल्वे बंगलापारा, रायगढ़, तहसील व जिला रायगढ़ (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं स्कूल शिक्षा विभाग, विकासखण्ड रायगढ़ में कार्यरत हूँ। मेरे सर्विस रिकार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में मेरा वास्तविक नाम “भुवनेश्वर प्रसाद पटेल” दर्ज है, किन्तु मेरे पासपोर्ट में भुवनेश्वर पटेल (Bhuwaneshwar Patel) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने नाम को परिवर्तित कर, वास्तविक नाम को मेरे पासपोर्ट में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे भुवनेश्वर प्रसाद पटेल (Bhuwaneshwar Prasad Patel) आत्मज स्व. चैन कुमार पटेल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

भुवनेश्वर पटेल
(Bhuwaneshwar Patel)
पिता-स्व. चैन कुमार पटेल
निवासी-म. नं.-241 ख,
साईं मंदिर गली,
रेल्वे बंगलापारा, रायगढ़,
तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नया नाम

भुवनेश्वर प्रसाद पटेल
(Bhuwaneshwar Prasad Patel)
पिता-स्व. चैन कुमार पटेल
निवासी-म. नं.-241 ख,
साईं मंदिर गली,
रेल्वे बंगलापारा, रायगढ़,
तह. व जिला-रायगढ़ (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शेख इंजमाम-उल-हक आत्मज शेख जहरूल हक, उम्र 26 वर्ष, निवासी-पंचशील नगर पश्चिम, वार्ड क्रमांक-19, सत्संग विहार रोड, पोस्ट बी. एम. वाय. चरोदा, तहसील पाटन जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ। यह कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा लघु नाम S. K. Inzamam Ul Haque आ. S. K. Jahar Ul Haque दर्ज है, जबकि मेरे पिता का वास्तविक नाम शेख जहरूल हक (Saikh Jaharul Haque) है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर पूर्ण नाम Shaikh Inzamam-Ul-Haque रख लिया हूँ। तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे शेख इंजमाम-उल-हक Shaikh Inzamam-Ul-Haque आत्मज शेख जहरूल हक (Saikh Jaharul Haque) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

S. K. Inzamam Ul Haque
पिता- S. K. Jahar Ul Haque
निवासी-पंचशील नगर पश्चिम,
वार्ड क्रमांक-19,
सत्संग विहार रोड,
पोस्ट-बी. एम. वाय. चरोदा,
तहसील- पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शेख इंजमाम-उल-हक
Shaikh Inzamam-Ul-Haque
पिता- शेख जहरूल हक
(S/o-Saikh Jaharul Haque)
निवासी-पंचशील नगर पश्चिम,
वार्ड क्रमांक-19,
सत्संग विहार रोड,
पोस्ट-बी. एम. वाय. चरोदा,
तहसील- पाटन,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक कुमार गनवीर आत्मज श्री नीलकंठ गनवीर, उम्र 37 वर्ष, जाति महार, निवासी-गली नंबर-1, दुर्गा जनरल स्टोर्स के पीछे, गिरधारी नगर, वार्ड नं.-9, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.), पिन 491001 का हूँ। यह कि मेरा पूर्ण नाम दीपक कुमार गनवीर आ. श्री नीलकंठ गनवीर है जो कि मेरे कक्षा 10वीं की अंकसूची, आधार कार्ड, पेनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 12वीं व उससे आगे के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम दीपक कुमार (Deepak Kumar) आ. श्री नीलकंठ (Neelkanth) दर्ज है जो कि अपूर्ण है। मैं अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में मेरे नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे दीपक कुमार गनवीर (Deepak Kumar Ganveer) आत्मज श्री नीलकंठ गनवीर (Shri Neelkanth Ganveer) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम

दीपक कुमार
(Deepak Kumar)
पिता- श्री नीलकंठ
(S/o-Shri Neelkanth)
निवासी-गली नंबर-1,
दुर्गा जनरल स्टोर्स के पीछे,
गिरधारी नगर, वार्ड नं.-9, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-491001

नया नाम

दीपक कुमार गनवीर
(Deepak Kumar Ganveer)
पिता- श्री नीलकंठ गनवीर
(S/o-Shri Neelkanth Ganveer)
निवासी-गली नंबर-1,
दुर्गा जनरल स्टोर्स के पीछे,
गिरधारी नगर, वार्ड नं.-9, दुर्ग,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)
पिन-491001

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संतोष कुमार मनहर आत्मज स्व. हाथीराम, उम्र 36 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी-ग्राम सतगढ़, पो. पिहरीद, थाना-मालखरौदा, जिला जॉजगीर चाम्पा (छ. ग.) का हूँ। यह कि मैं ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर जिला बलरामपुर रा. गंज (छ. ग.) में कार्यरत हूँ। मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम संतोष कुमार सतनामी दर्ज है। मैं अपने उपनाम “सतनामी” का परित्याग कर अन्य उपनाम “मनहर” जोड़ कर नया नाम संतोष कुमार मनहर आ. स्व. हाथीराम रख लिया हूँ। मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ।

अतः अब से मुझे संतोष कुमार मनहर आत्मज स्व. हाथीराम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
संतोष कुमार सतनामी	संतोष कुमार मनहर
पिता- स्व. हाथीराम	पिता- स्व. हाथीराम
निवासी-ग्राम-सतगढ़,	निवासी-ग्राम-सतगढ़,
पो.-पिहरीद,	पो.-पिहरीद,
थाना-मालखरौदा,	थाना-मालखरौदा,
जिला-जॉजगीर चाम्पा (छ. ग.)	जिला-जॉजगीर चाम्पा (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दिलेश्वरी निर्मलकर आत्मजा श्री बिसरू राम, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम-दरबार मोखली, तहसील रानीतराई, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ। यह कि मेरा पूर्ण नाम दिलेश्वरी निर्मलकर है जो कि मेरे महाविद्यालय के समस्त प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा 12वीं तक के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, दस्तावेजों में मेरा नाम दिलेश्वरी आत्मजा बिसरूराम दर्ज है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ।

अतः अब से मुझे दिलेश्वरी निर्मलकर आत्मजा श्री बिसरू राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे।

पुराना नाम	नया नाम
दिलेश्वरी	दिलेश्वरी निर्मलकर
पिता- श्री बिसरूराम	पिता- श्री बिसरू राम
निवासी-ग्राम-दरबार मोखली,	निवासी-ग्राम-दरबार मोखली,
तहसील-रानीतराई,	तहसील-रानीतराई,
जिला-दुर्ग (छ. ग.)	जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2020

प्रकरण क्रमांक /ब-113 (1) वर्ष 2020-21

क्रमांक/16/अ. वि. अ./पं. सा. न्या./2020.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री पं. शरद जैन एवं 8 अन्य, पता डी-135, एम.आर.कालोनी, शैलेन्द्र नगर, रायपुर द्वारा “श्री दिगम्बर जैन मंदिर समिति” पता डी-215, आर.एम.एस. कालोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ. ग.) का छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 04 (2) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई सम्पत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए हैं :-

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण)

- | | | | |
|----|----------------------------|----|--|
| 1. | पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता | :- | “श्री दिगम्बर जैन मंदिर समिति” पता डी/215, आर.एम.एस. कालोनी, टैगोर नगर, रायपुर (छ. ग.) |
| 2. | चल संपत्ति | :- | चांदी के बर्तन, फर्नीचर, अन्य बर्तन-मूल्य राशि रु. 10,65,918/-
बैंक खाता (इलाहाबाद एवं कार्पोरेशन बैंक)-राशि रु. 4,59,859/-
नकद राशि रुपये- 17,530/- |
| 3. | अचल संपत्ति | :- | संत भवन, टैगोर नगर, रायपुर-मूल्य राशि रु. 147.83 लाख |

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा सम्पत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियाँ प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वतः या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 28-12-20 को उपस्थित होंगे. निर्धारित तिथि के पश्चात प्रस्तुत किए गए आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

यह ईशतहार आज दिनांक 28-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

प्रणव सिंह
पंजीयक एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास प्रतापपुर,
जिला-सूरजपुर (छ. ग.)**

प्रतापपुर, दिनांक 8 जनवरी 2021

202101260500007

विविध प्रकरण क्रमांक

19/ब-121/19-20

क्रमांक/44/अ. वि. अ./स्टेनों/2021.—इस न्यायालय के रा. प्र. क्र. 202101260500007/19/ब 121/2019-20 ग्राम प्रतापपुर, पक्षकार श्री सतीश चौबे अन्य 14 प्रति छ. ग. शासन में दिनांक 08-01-2021 को आदेश पारित किया गया है।

1. श्री सतीश चौबे आ. हरिनारायण चौबे
 2. जितेन्द्र दुबे आ. स्व. श्री लाला प्रसाद दुबे
 3. अक्षय तिवारी आ. श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी
 4. अनिल मित्तल आ. स्व. किशन दास
 5. प्रदीप गोयल आ. स्व. देवराज गोयल
 6. नरेन्द्र तिवारी आ. स्व. हरिप्रसाद तिवारी
 7. विरेन्द्र पाण्डेय आ. स्व. कन्हाई राम पाण्डेय
 8. विन्ध्याचल गुप्ता आ. श्री रामनारायण गुप्ता
 9. अनिल गुप्ता आ. स्व. श्री रामेश्वर गुप्ता
 10. धीरज गुप्ता आ. स्व. श्री सखीचन्द गुप्ता
 11. अम्बिका जायसवाल आ. श्री छोटेला जयसवाल
 12. सचिन तायल आ. श्री बहादुर तायल
 13. अतिमत्त सिंघल आ. सुरेश सिंघल
 14. भोला शुक्ला आ. स्व. श्री अर्जुन प्रसाद शुक्ला
 15. अखिलेश वर्मा आ. स्व. श्री बृजकिशोर सहाय
- सभी निवासी नगर पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

.....आवेदकगण

प्रति,

छ. ग. शासन

आदेश

(पारित दिनांक 08-01-2021)

आवेदक सतीश चौबे आ. हरिनारायण चौबे, एवं अन्य 14 निवासी नगर पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर द्वारा नगर पंचायत प्रतापपुर स्थित (1) मां समलेश्वरी मंदिर, (2) मां महामाया मंदिर, (3) मां काली मंदिर, (4) ठाकुर बाड़ी, (5) गणेश मंदिर, (6) ग्राम देवता मंदिर, (7) हनुमान मंदिर, (8) सूर्य मंदिर, (9) शिवमंदिर, (10) भैरव मंदिर, (11) हिंगलाज मंदिर, (12) शीतला मंदिर के समूहों को मां समलेश्वरी सेवा ट्रस्ट प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.) के नाम से लोक न्यास के रूप में पंजीयन करने हेतु आवेदन पत्र पेश करने पर प्रकरण प्रारंभ किया गया।

आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर सार्वजनिक ईशतहार एवं स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन कर आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किये गये। नियत दिनांक तक कोई आपत्ति एवं सुझाव किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के आधार पर मां समलेश्वरी मंदिर, मां महामाया मंदिर, मां काली मंदिर, ठाकुर बाड़ी, गणेश मंदिर, ग्राम देवता मंदिर, हनुमान मंदिर सूर्य मंदिर, शिवमंदिर, भैरव मंदिर, हिंगलाज मंदिर, शीतला मंदिर के समूहों नगर पंचायत, प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.) का निम्नानुसार लोक न्यास गठन का आदेश एतद्वारा पारित किया जाता है-

1. लोक न्यास की उत्पत्ति स्वरूप व उद्देश्य :-

उक्त न्यास नगर पंचायत प्रतापपुर स्थित मां समलेश्वरी मंदिर, मां महामाया मंदिर, मां काली मंदिर, ठाकुर बाड़ी, गणेश मंदिर, ग्राम देवता मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, शिवमंदिर, भैरव मंदिर, हिंगलाज मंदिर, शीतला मंदिर, जो कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित हैं। उसकी देख-रेख, संरक्षण एवं सुरक्षा करना गठित ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है तथा इसमें भविष्य में अन्य निर्मित होने वाले मंदिर, बगीचे भवन, धर्मशाला आदि के देख-रेख हेतु बनाया जा रहा है। यह न्यास उक्त मंदिरों की देखरेख, पूजा पाठ, भोग, राग, पूजा, अर्चना, प्रबंध व्यवस्था तक का कार्यकलाप करेगी। उक्त न्यासियों के 3/4 बहुमत से कार्यकलाप के क्षेत्र में विस्तार किया जा सकेगा। न्यास का उद्देश्य नगर पंचायत प्रतापपुर में स्थित आदेश में उल्लेखित मंदिरों की उचित देखरेख और नियमित पूजा, अर्चना की सुचारू रूप से व्यवस्था करना महाशिवरात्रि पर्व, श्रावण मास उत्सव का आयोजन करना, बसन्त पंचमी, नवरात्री आदि में धार्मिक अनुष्ठान उत्सव एवं पर्व का आयोजन करना, तथा क्षेत्र की जनता में धार्मिक भावनाओं को जागृत करना व गर्मी के मौसम में पानी पिलाने एवं अन्य व्यवस्था करना है।

2. वह स्थान जहां लोक न्यास का प्रधान कार्यालय या करोबार का प्रधान स्थान स्थित है :-

मां समलेश्वरी मंदिर प्रांगण, नगर पंचायत प्रतापपुर खास, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

3. कार्यकारी न्यासधारी और प्रबंधक का नाम उसके पते सहित :-

प्रबंधक :- श्री सतीश चौबे आ. हरिनारायण चौबे

निवासी - नगर पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

कार्यकारी न्यासधारी :-

1. जितेन्द्र दुबे आ. स्व. श्री लाला प्रसाद दुबे
2. अक्षय तिवारी आ. श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी
3. अनिल मित्तल आ. स्व. किशन दास
4. प्रदीप गोयल आ. स्व. देवराज गोयल
5. नरेन्द्र तिवारी आ. स्व. श्री हरिप्रसाद तिवारी
6. विरेन्द्र पाण्डेय आ. स्व. कन्हैया राम पाण्डेय
7. विन्ध्याचल गुप्ता आ. श्री रामनारायण गुप्ता
8. अनिल गुप्ता आ. स्व. श्री रामेश्वर गुप्ता
9. धीरज गुप्ता आ. स्व. श्री सखीचन्द गुप्ता
10. अम्बिका जायसवाल आ. श्री छोटेलाल जायसवाल
11. सचिन तायल आ. श्री बहादुर तायल
12. अमित सिंघल आ. सुरेश सिंघल
13. भोला शुक्ला आ. स्व. श्री अर्जुन प्रसाद शुक्ला
14. अखिलेश वर्मा आ. स्व. श्री बृजकिशोर सहाय

सभी निवासी नगर पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

4. न्यास पद या व्यवस्थापक पद के उत्तराधिकारी की रीति -

किसी भी न्यासी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी के रूप में न्यासियों के बहुमत के आधार पर नियुक्त की जा सकेगी, और यही व्यवस्था व्यवस्थापक पद हेतु भी लागू होगी।

5. न्यास को सृजित करने वाले लिखतों के विवरण -

उक्त न्यास नगर पंचायत प्रतापपुर स्थित मां समलेश्वरी मंदिर, मां महामाया मंदिर, मां काली मंदिर, ठाकुर बाड़ी, गणेश मंदिर, ग्राम देवता मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, शिवमंदिर, भैरव मंदिर, हिंगलाज मंदिर, शीतला मंदिर, जो कि ऐतिहासिक धरोहर के रूप में स्थापित हैं। उसकी देख-रेख, संरक्षण एवं सुरक्षा करना गठित ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है तथा इसमें भविष्य में अन्य निर्मित होने वाले मंदिर, बगीचे भवन, धर्मशाला आदि के देख-रेख हेतु बनाया जा रहा है।

6. न्यास से संबंधित योजना यदि कोई हो -

ट्रस्ट के गठन पश्चात् भवष्य की योजना तैयार की जायेगी.

7. ऐसी सम्पत्ति के प्रत्येक वर्ग की अनुमानित मूल्य सहित जंगम सम्पत्ति-

अ - मंदिर बनवाने में हुआ खर्च - मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है. मूल्य का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है.
 ब - मूर्ति व अन्य सामान में - 1 करोड़
 स - अन्य- 50 लाख (जैसे-हॉल, दूकान)

8. स्थावर सम्पत्ति का विवरण -

नगर पंचायत प्रतापपुर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर
 खसरा नं. 383 रकबा 0.12 हे., खसरा नं. 384 रकबा 0.23 हे., खसरा नं. 387 रकबा 0.53 हे., खसरा नं. 416 रकबा 0.56 हे., खसरा नं. 40 रकबा 0.01 हे., खसरा नं. 398 रकबा 3.24 हे., महाविद्यालय भूमि में से 0.02 हे., खसरा नं. 119 रकबा 1.65 हे. तालाब मद भूमि में से 0.20 हे., खसरा नं. 349 रकबा 0.02 हे., खसरा नं. 332 रकबा 0.04 हे., खसरा नं. 618 रकबा 0.08 हे., खसरा नं. 419 रकबा 0.34 हे. कुल 10 प्लॉट रकबा 2.15 हे. जिसका वर्तमान बाजार मूल्य 50 करोड़ रुपये है एवं इस पर मंदिर एवं मंदिर के नाम से आरक्षित भूमि दुकाने, सामुदायिक भवन निर्मित है.

9. न्यास के आय के साधन -

चन्दे व दान से प्राप्त राशि

10. कुल वार्षिक औसत आय -

3,60,000/- (तीन लाख साठ हजार रुपये)

11. वार्षिक औसत व्यय -

क -	न्यासधारियों एवं प्रबंधन को दिये जाने वाले परिश्रम की दर	-	निशुल्क
ख -	स्थापना एवं कर्मचारी वर्ग पर	-	50000
ग -	धार्मिक उद्देश्य	-	150000
घ -	विविध कार्यों पर	-	100000
	कुल	-	300000

12. न्यास सम्पत्ति पर ऋण भारों यदि कोई हो का विवरण -

ऋणभार नहीं है.

13. न्यास सम्पत्ति से संबंधित विलेखों विवरण और उस पर कब्जा रखने वाले न्यासधारियों के नाम -

श्री सतीश चौबे आ. हरिनारायण चौबे
 निवासी- नगर पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

14. वित्तीय वर्ष का सामान्य बजट -

प्रत्येक वर्ष का बजट राशि के अनुसार तैयार किया जावेगा.

15. न्यासधारी या प्रबंधक के न्यास से संबंधित कोई सूचना निम्न पते पर भेजी जा सकेगी -

श्री सतीश चौबे आ. हरिनारायण चौबे

निवासी- वार्ड क्रमांक 06, नगर पंचायत प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.)

मो. नं. 8120810200

आवेदकगणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन एवं अध्ययन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि नगर पंचायत प्रतापपुर स्थित मंदिर ऐतिहासिक धरोहर है जिसे संरक्षित, सुरक्षित रखने हेतु धार्मिक लोक न्यास के गठन किया जाना आवश्यक है। धार्मिक लोक न्यास के गठन हेतु सभी शर्तों का पालन आवेदकगणों द्वारा किया जाना पाया जाता है।

अतः मैं सी. एस. पैकरा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं पंजीयक लोक न्यास प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.) मां समलेश्वरी मंदिर, मां महामाया मंदिर, मां काली मंदिर, ठाकुर बाड़ी, गणेश मंदिर, ग्राम देवता मंदिर, हनुमान मंदिर, सूर्य मंदिर, शिवमंदिर, भैरव मंदिर, हिंगलाज मंदिर, शीतला मंदिर नगर पंचायत प्रतापपुर को लोक न्यास अधिनियम 1951 संशोधित 1962 की धारा- 4(1) के अंतर्गत धार्मिक लोक न्यास गठित करता हूँ। आज से यह धार्मिक मंदिर मां समलेश्वरी सेवा ट्रस्ट, नगर पंचायत प्रतापपुर, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर (छ. ग.) के नाम से जाना जावेगा। न्यास के प्रबंधक को यह निर्देश दिया जाता है कि न्यास के कार्यकारिणी को विधिवत बैठक आहुत करें। धार्मिक लोक न्यास विधिवत संचालन करें, एवं आय-व्यय का लेखा-जोखा निर्धारित पंजियों में संधारित करावें, तथा न्यास की प्रतिमाह होने वाली आय-व्यय का विवरण इस न्यायालय को भी भेजें।

आज दिनांक 08-01-2020 को कलेक्टर, जिला सूरजपुर के आदेश क्र. 2035/वित्त स्था./2018 सूरजपुर दिनांक 23-04-2018 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आदेश पारित एवं उद्घोषित।

सी. एस. पैकरा
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं पंजीयक

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)
कलेक्ट्रेट के सामने पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2102.—वस्तुतः जय बजरंग आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. चंगोरी, पं. क्र. 3158 दिनांक 27-01-1986 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1008 दिनांक 14-05-2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/1744 दिनांक 25-6-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया था। परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत जय बजरंग आदिवासी मछुवा सहकारी समिति मर्या. चंगोरी, पं. क्र. 3158 दिनांक 27-01-1986 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2103.—वस्तुतः निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. हरदी, पं. क्र. 302 दिनांक 10-08-2011 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/1185 दिनांक 14-0-2018 के द्वारा अकार्यशील एवं अकेक्षण नहीं कराने के कारण परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत सहकारिता विस्तार अधिकारी मस्तूरी को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत निषाद मछुवा सहकारी समिति मर्या. हरदी, पं. क्र. 302 दिनांक 10-08-2011 विकास खण्ड मस्तूरी जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2104.—वस्तुतः मजदूर विकास गिट्टी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. धरमपुरा, पं. क्र. 3936 दिनांक 25-05-1999 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2007/380 दिनांक 15-03-2007 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/1744 दिनांक 25-6-2016 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत मजदूर विकास गिट्टी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. धरमपुरा, पं. क्र. 3936 दिनांक 25-05-1999 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2105.—वस्तुतः जय मातादी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी, पं. क्र. 194 दिनांक 31-01-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/933 दिनांक 06-05-2008 एवं पत्र क्रमांक 864 दिनांक 17-5-2012 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत जय मातादी महिला बहु. सहकारी समिति मर्या. सिलपहरी, पं. क्र. 194 दिनांक 31-01-2005 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2106.—वस्तुतः आदिवासी रेत खदान सहकारी समिति मर्या. लमेर, पं. क्र. 3874 दिनांक 28-07-1997 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2006/224 दिनांक 10-02-2006 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/1076 दिनांक 26-6-2020 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री मनीष वर्मा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत आदिवासी रेत खदान सहकारी समिति मर्या. लमेर, पं. क्र. 3874 दिनांक 28-07-1997 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2107.—वस्तुतः रेत खदान सहकारी समिति मर्या. तुरकाडीह, पं. क्र. 3372 दिनांक 26-07-1997 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/355 दिनांक 15-03-2005 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/1076 दिनांक 26-6-2020 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री मनीष वर्मा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत रेत खदान सहकारी समिति मर्या. तुरकाडीह, पं. क्र. 3372 दिनांक 26-07-1997 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2108.—वस्तुतः रेत खदान सहकारी समिति मर्या. लोखण्डी, पं. क्र. 3833 दिनांक 21-01-1998 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/2271 दिनांक 09-05-2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/

1076 दिनांक 26-6-2020 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री मनीष वर्मा सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत रेत खदान सहकारी समिति मर्या. लोखण्डी, पं. क्र. 3833 दिनांक 21-01-1998 विकास खण्ड तखतपुर जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2109.—वस्तुतः दुर्गा फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. भैंसबोड़, पं. क्र. 3128 दिनांक 10-01-1984 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2008/1030 दिनांक 15-05-2008 एवं पत्र क्रमांक 864 दिनांक 17-5-2012 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत दुर्गा फर्शी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या. भैंसबोड़, पं. क्र. 3128 दिनांक 10-01-1984 विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2020

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2020/2110.—वस्तुतः पत्थर गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बांकीघाट, पं. क्र. 3897 दिनांक 03-11-1997 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1000 दिनांक 30-03-2015 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत श्री एन. आर. भगत सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतः मैं मंजू महेन्द्र पाण्डेय, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियों जो मुझमें वैधित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत पत्थर गिट्टी खदान सहकारी समिति मर्या. बांकीघाट, पं. क्र. 3897 दिनांक 03-11-1997 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करती हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 26-11-2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

मंजू महेन्द्र पाण्डेय
उप पंजीयक.